बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– पी0पी0एम0–44/2017 4256 /कृ0, पटना दिनांक 02-11-2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

#द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को जैविक सब्जी की खेती (रबी/जायद) हेतु इनपुट अनुदान कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए मो० 1200.00 लाख (बारह सौ लाख) रूपये मात्र के लागत व्यय पर राज्य योजना मद् से शत् प्रतिशत सहायतानुदान की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को जैविक सब्जी की खेती (रबी/जायद) हेतु इनपुट अनुदान कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए मो० 1200.00 लाख (बारह सौ लाख) रूपये मात्र के लागत व्यय पर राज्य योजना मद् से शत् प्रतिशत सहायतानुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सब्जी की खेती में मुख्यतः बीज, जैविक खाद एवं कीटनाशक किसानों को बाजार से क्रय करना पड़ता है, जो काफी महंगी होती है। किसानों को इस हेतु नगद राशि की व्यवस्था करना अनिवार्य होता है, जिस हेतु राशि की व्यवस्था करने में किसान महाजनों के कर्ज के चंगूल में भी फंस जाते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु योजनान्तर्गत किसानों को बाजार से बीज एवं जैविक उपादान इत्यादि के क्रय हेतु राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **"इनपुट अनुदान"** अग्रिम के रूप में बैंक के सहयोग से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/अन्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। इसके कार्यान्वयन हेतु अनुदेश अलग से निर्गत किया जायेगा। योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2017–18 में किया जायेगा। योजना का भौतिक आकार अनुसूची–1 एवं अनुसूची – 2 पर संलग्न है।

3. राज्य योजना मद से योजनान्तर्गत शामिल जिलों में यथा– नालन्दा, पटना, वैशाली एवं समस्तीपुर जिलों में Pilot Project के रूप में मो० 1200.00 लाख (बारह सौ लाख) रूपये मात्र के लागत व्यय पर जैविक सब्जी की खेती (रबी/जायद) हेतु "इनपुट अनुदान" कार्यक्रम संचालित कराया जायेगा।

4. कुल स्वीकृत राशि की अग्रिम निकासी सहायक निदेशक, उद्यान, पटना द्वारा संबंधित कोषागार से की जायेगी तथा मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के परामर्शानुसार कार्यान्वयन एजेन्सी को व्यय हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। तत्काल उपलब्ध राशि 824.13 लाख रूपये (आठ करोड़ चौबीस लाख तेरह हजार रूपये) की निकासी की जा सकेगी तथा अवशेष राशि अनुपूरक आगणन में प्राप्त की जायेगी, तदोपरान्त अवशेष राशि का आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

5. जैविक खेती का केन्द्रबिन्दु मृदा को स्वस्थ्य एवं जीवित रखते हुए खेती कराना है। जैविक सब्जी के खेती में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी एवं फफूँदनाशी का प्रयोग नगण्य हो, इसकी सुनिश्चितता किया जायेगा। इस खेती में कार्बनिक खाद (गोबर की खाद, कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट,

मुर्गी का बीट) वानस्पतिक अवशिष्ट (तेलहन की खल्ली, पुआल, भूसा, फार्म अवशिष्ट), जैव उर्वरक (राइजोबियम, एजोटोवैक्टर, पी.एस.बी. इत्यादि), जानवरों का अवशिष्ट (केंचुआ वास, गौ मुत्र, इत्यादि) एवं रोगों के जैविक नियंत्रक (ट्राईकोडर्मा, व्यूबोरिया वेसीयाना, नीम तेल (नीमीसिडीन), फेरोमेन ट्रैप इत्यादि) के उपयोग को प्रोत्साहित कर सब्जी की खेती करायी जायेगी।

6. योजनान्तर्गत उपरोक्त वर्णित बाजार आधारित जैविक उपादानों एवं सब्जी बीज के क्रय हेतु किसानों को **"इनपुट अनुदान"** अग्रिम के रूप में बैंकों के सहयोग से उपलब्ध कराया जायेगा। इनपुट अनुदान से कृषक बीज एवं निर्धारित जैविक उपादान हेतु कर्णांकित राशि से मात्र कर्णांकित अवयवों का ही क्रय कर पाएंगे। किसानों को अन्य कार्य के लिए व्यय हेतु क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/अन्य आधुनिक तकनीक से राशि का भुगतान सम्भव नहीं हो पाये, इसकी सुरक्षा कृषि इनपुट उपलब्ध कराने वाले बैंको से सुनिश्चित करायी जायेगी।

7. **योजना का विस्तारः**– इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के चार जिलों यथा नालन्दा, पटना, समस्तीपुर एवं वैशाली में Pilot Project के रूप में किया जायेगा।

8. **योजना संचालन की प्रक्रिया** :–जैविक सब्जी की खेती, जैविक खेती के मुख्य घटकों का भलीभाँति उपयोग कर किया जायेगा। इसके लिए मुख्य तीन इनपुट की आवश्यकता पड़ती है।

i. सब्जी के ओ.पी./हाईब्रिड (संकर) प्रभेद के बीज।

ii. जैविक खाद (पोषक तत्व)

iii. जैविक कीटनाशी एवं रोगनाशी।

9. जैविक खाद (पोषक तत्व) में बायोंफर्टिलाईजर का उपयोग जैसेः– वर्मीकम्पोस्ट, एजेटोबैक्टर/राइजोबियम, पी.एस.बी (फास्फोरस सॉल्यूब्लाइजिंग बैक्टीरिया) बायो एन.पी.के. आदि एवं ब्यूबेरिया बेसियाना एवं जैविक कीटनाशी में एजेंडाक्ट्रीन (नीम तेल) एवं ट्राइकोडर्मा (फफूँदनाशी) आदि का उपयोग कर जैविक सब्जी की खेती किया जायेगा।

10. **योजना संचालन का दायित्वः**– इस योजना के संचालन हेतु राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में बिहार बागवानी विकास सोसाईटी गठित है, जिसके सदस्य सचिव मिशन निदेशक होते है। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला बागवानी विकास समिति गठित है, जिसके सदस्य सचिव सहायक निदेशक, उद्यान नामित है। जिला बागवानी विकास समिति के अधिन जिला कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक त्रिस्तरीय समिति भी गठित है, जिसके सदस्य परियोजना निदेशक, आत्मा एवं सहायक निदेशक उद्यान होते है। इस त्रिसदस्यीय उपसमिति को योजना के लिए लाभुक कृषकों की चयनित सूची को अनुमोदित करने का दायित्य होगा। साथ हीं अपने क्षेत्र में संचालित किए जा रहे जैविक सब्जी की खेती की गहन Monitioring, Random निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार के लिए अधिकृत होंगे।

11. जैविक सब्जी की खेती (रबी/जायद) हेतु इनपुट अनुदान कार्यक्रम का क्रियान्व्यन संबंधित जिला के जिला बागवानी विकास समिति के उप समिति के अध्यक्ष जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

12. **सहायतानुदान का तरीका** :– जैविक सब्जी की खेती (रबी/जायद) हेतु **"इनपुट अनुदान"** कार्यक्रम के तहत् प्रति 0.3 एकड़/1250 वर्ग मीटर के लिए 6000 रू० प्रति कृषक की दर से अग्रिम इनपुट अनुदान शत् प्रतिशत् सहायतानुदान के रूप में बैंकों के सहयोग से किसानों को रबी/जायद मौसम के लिए उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे कृषक योजनान्तर्गत् चिन्हित उपादान के रूप में सब्जी का बीज, जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशी एवं रोगनाशी का क्रय कर सकेंगे।

13. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

14. वितीय वर्ष 2017–18 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 1, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401001190101, विषय शीर्ष 0101.31. 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन।	6391.00	996.00
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 1, उप शीर्ष–0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401007890130, विषय शीर्ष 0130.31.06– सहायक अनुदान–गैर वेतन।	1232.00	192.00
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 1, उपशीर्ष 0152–उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01. 2401007960152, विषय शीर्ष–0152.31. 06– सहायक अनुदान–गैर वेतन।	77.00	12.00
कुल	**7700.00**	**1200.00**

15. वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–44/2017 के पृ0सं0– 52/प. पर दिनांक : 30.10.2017 को प्राप्त है। योजना के कार्यान्वयन में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–पी0पी0एम0–44/2017 के पृ0सं0– 4/टि0 पर दिनांक : 02.11.2017 को प्राप्त है।

16. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

17. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– पी०पी०एम०–44/2017 के पृ0सं0–6/टि. पर दिनांक–02.11.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

2.11.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–44/2017 4256 /कृ0, पटना, दिनांक 02-11- , 2017

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.11.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–44/2017 4256 /कृ0, पटना, दिनांक02-11-, 2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.11.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–44 / 2017 4256 /कृ0, पटना, दिनांक 02-11-, 2017

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.11.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–44 / 2017 4256 /कृ0, पटना, दिनांक 02-11-, 2017

प्रतिलिपि– माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना / अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना / निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना / निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, नालंदा / पटना / वैशाली / समस्तीपुर / सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक / संबंधित उप कृषि निदेशक / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सभी जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक / सभी उप कृषि निदेशक, प्रक्षेत्र / मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण / वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक प्रोत्साहन कोषांग / बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2.11.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूचि-1

जैविक सब्जी की खेती हेतु इनपुट अनुदान की कार्यक्रम (2017–18) (राशि - लाख रु० में)

क्र० सं०	जिला का नाम	कृषक की संख्या	प्रति कृषक रकवा 0.3 एकड़ (1250 वर्ग मीटर)	कुल रकवा (एकड़)	इनपुट अनुदान की राशि 0.06 लाख प्रति कृषक (रबी/जायद मौसम)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	नालन्दा	5000	0.30/एकड़/कृषक	1500.00	5000 X 0.06 = 300.00	इनपुट अनुदान मौसमी सब्जी की खेती के लिए बीज एवं जैव उपादान क्रय हेतु शत–प्रतिशत अग्रिम अनुदान दिया जायेगा।
2	पटना	5000	0.30/एकड़/कृषक	1500.00	5000 X 0.06 = 300.00	
3	समस्तीपुर	5000	0.30/एकड़/कृषक	1500.00	5000 X 0.06 = 300.00	
4	वैशाली	5000	0.30/एकड़/कृषक	1500.00	5000 X 0.06 = 300.00	
	कुल योग	**20000**		**6000.00**	**1200.00**	

डॉ० राकेश कुमार डॉ० अजय कुमार

अरविन्दर सिंह

(45)

Letter dt. 16.10.2017